

कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा (म0प्र०)

क्रमांक—Q-62 / जि०न्या०छि० / 2020

छिंदवाडा दिनांक 06.06.2021

विविध आदेश

छिंदवाडा जिले में कुछ दिनों से कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। न्यायालय कार्य प्रारंभ किये जाने के संबंध में जिला अभिभाषक संघ, छिंदवाडा के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। चूंकि कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के एस.ओ.पी. क्रमांक—ए/113/जबलपुर दिनांक 15.01.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी.पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दिनांक 07.06.2021 से जिला मुख्यालय, छिंदवाडा एवं समस्त तहसील के सिविल न्यायालयों में आगामी आदेश तक निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन सीमित तौर पर वर्चुअल माध्यम के साथ-साथ आवश्यक होने पर भौतिक रूप से सुनवाई हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता हूँ।

- (1)— मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट रूल्स, 1961 के नियम 5 तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समस्त न्यायालय अपने नियमित समय पर कार्य करेंगे।
- (2)— आगामी आदेश तक केवल उन्हीं प्रकरणों में साक्ष्य अभिलिखित की जा सकेगी जो विचाराधीन बंदी से संबंधित हों या जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित हो अथवा जिनमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निराकरण के निर्देश प्रदाय किये गये हैं।
- (3)— सिविल प्रकरणों में कमिशनर के माध्यम से साक्ष्य न्यायालय कक्ष के बाहर अभिलिखित की जा सकेगी, किंतु ऐसे सांपत्तिक प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र या समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये हैं, में साक्ष्य कमिशनर या न्यायालय के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।
- (4)— प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन में अधिकतम 10 प्रकरण से अधिक प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध नहीं किये जाये तथा उक्त 10 प्रकरण में से अधिकतम 5 प्रकरण (सिविल एवं किमिनल) साक्ष्य हेतु एवं अन्य प्रकरण वाद प्रश्न, आरोप पत्र विरचना, अंतरवर्ती आवेदनों एवं अंतिम तर्क आदि के सुनवाई हेतु नियत किये जायेंगे। शेष प्रकरण बोर्ड डायरी अनुसार अगली सुनवाई हेतु नियत किये जायेंगे।
- (5)— प्रत्येक न्यायालय के लिए एक दिन पूर्व सुनवाई हेतु सूचीबद्ध प्रकरणों की सूची (कॉर्ज लिस्ट) का प्रकाशन किया जाना आवश्यक होगा। उक्त कॉर्ज लिस्ट अधिवक्तागण, पक्षकार एवं जन सामान्य के लिये बेवसाइट <http://district.mphc.gov.in/en/causelist> पर उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही ऐसे प्रकरण भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जिनमें सुनवाई हेतु अग्रिम तारीख दी गई है।

जिला न्यायालय, छिंदवाडा एवं उसकी समस्त तहसीलों में स्थित न्यायालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में निम्नलिखित प्रकृति के प्रकरण उपरोक्त बताई गई संख्या अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई में लिये जायेंगे:-

- 01— अपील एवं रिवीजन (सिविल एवं किमिनल दोनों) से संबंधित मामले।
- 02— अण्डर ट्रायल कैदियों से संबंधित मामले।
- 03— 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित सिविल एवं किमिनल मामले।
- 04— मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण, जिनमें साक्ष्य समाप्त हो चुकी है।
- 05— राजीनामा से संबंधित मामले।
- 06— दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले।
- 07— ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण के आदेश दिये गये हैं।
- 08— मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित क्षतिपूर्ति जमा राशि के भुगतान से संबंधित मामले।

- 09— धारा 125 द०प्र०सं० एवं धारा 128 द०प्र०सं० से संबंधित मामले।
- 10— किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामले।
- 11— ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें मामले की सुनवाई अर्जेट प्रकृति की होना प्रतीत हो रहा है।

नोट:- ऐसे न्यायालय जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या कम है या नहीं है, वह न्यायालय उपरोक्त बताई गई सूची में लंबित 10 प्रकरणों को सुनवाई में ले सकते हैं।

उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त:-

- 1— रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दनामा प्रकरण एवं दुर्घटना दावा प्रकरणों में जमा क्लेम राशि से संबंधित मामले पूर्ववत् सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।
- 2— अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में भी सुनवाई की जावेगी।
- 3— सभी समरी प्रकरण उपस्थिति के प्रकरणों को छोड़कर, भी सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।
- 4— शेष प्रकरणों में सामान्य तिथियों नियत की जावेगी।

सामान्य निर्देश:-

- (1)— साक्षीगण, पक्षकार एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति आदेश पत्रिका में अभिलिखित की जायेगी, किंतु जहाँ कानूनन अनिवार्य हों, वहाँ उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे।
- (2)— प्रथम रिमाण्ड के समय अभियुक्त की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, उसके उपरांत व्ही०सी० के माध्यम से रिमाण्ड दिया जायेगा। विचाराधीन अभियुक्तों की उपस्थिति जब तक अनिवार्य न हो, रिमाण्ड के माध्यम से की जायेगी।
- (3)— समस्त न्यायालय सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर सी०आई०एस० एन०सी०-३.२ के माध्यम से समसं जारी करायेंगे एवं प्रकरणों को प्रतिदिन अपडेट करेंगे।
- (4)— जिले के समस्त न्यायालयों में अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी, पक्षकार एवं स्टाफ के न्यायालय में अंदर आने-जाने के रास्ते इस प्रकार निर्धारित किये जाये कि भीड़ एकत्रित न हो, यह कार्य संकरण की रोकथाम एवं निगरानी हेतु गठित कमेटी के द्वारा किया जायेगा।
- (5)— समस्त विद्वान अधिवक्तागण समूह के साथ न्यायालय परिसर/न्यायालय भवन में घूमने व न्यायालय कक्षों में अनावश्यक प्रवेश करने से बचें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें।
- (6)— विद्वान अधिवक्तागण से यह अपेक्षित है कि वे पक्षकारों को आवश्यक होने पर ही न्यायालय परिसर/भवन में बुलावे ताकि परिसर में भीड़-भाड़ से बचा जा सके।
- (7)— जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा या इसकी तहसील न्यायालयों के क्षेत्र में कफर्यू लॉक डाउन/कंटेन्मेंट जौन घोषित होने पर उस क्षेत्र के न्यायालय का कार्य बंद रहेगा, किंतु अत्यावश्यक प्रकृति के मामले में व्ही०सी० के माध्यम से कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० को सूचित करते हुये जारी रहेगी।
- (8)— यह सुनिश्चित किया जाये कि केवल ऐसे अधिवक्तागण एवं आवश्यक होने पर पक्षकार/साक्षी को ही न्यायालयों में प्रवेश दिया जाये, जिनके मामलों की सुनवाई उस दिन नियत हो। इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर न्यायालयीन स्टाफ की व्यवस्था की जाये।
- (9)— न्यायालय में प्रकरण एक के बाद एक सुने जायेंगे, प्रत्येक सुनवाई के मध्य 2 मिनट का इस्तेमाल सेनेटाईज किये जाने हेतु किया जायेगा।
- (10)— माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० के निर्देशानुसार कोरोना संकरण को रोकने के लिये न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन एवं फोटोकॉपी दुकान आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
- (11)— पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षियों को प्रवेश दिया जाये, जिनकी पुकार न्यायालय द्वारा लगाई गई हो, अन्य पक्षकार/अधिवक्तागण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अपने प्रकरण की प्रतिक्षा करेंगे।
- (12)— न्यायालय कक्ष में कुर्सी एवं बैंचों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्थित करना पीठासीन

अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।

- (13)– न्यायालय कक्ष के बाहर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाये, जिससे कॉज लिस्ट अनुसार सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरण डिस्प्ले बोर्ड में अधिवक्तागण एवं पक्षकार की सुविधा हेतु प्रदर्शित हो।
- (14)– न्यायालय परिसर में किसी प्रकार का आयोजन अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- (15)– इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक क्यू-46 / जि०न्या०छि० / 2020 दिनांक 17.01.2021 में जो कमेटियों मुख्यालय छिंदवाड़ा एवं तहसील न्यायालयों के लिये गठित की गई है, वे न्यायालय में कोविड-19 के संकरण की रोकथाम हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार ही कार्य करेंगी।
- (16)– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, सेनेटाईजर, साफ-सफाई, न्यायालय में उपस्थिति, बीमारी के लक्षण आदि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा दिनांक 15.01.2021 को जारी एस०ओ०पी० में दिये गये समस्त निर्देशों के साथ-साथ बिन्दु क्रमांक 11 से 36 तक दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 के संकरण की रोकथाम व बचाव हेतु गठित की गई उपरोक्त कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एस०ओ०पी० में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (19)– केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संकरण की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा।



(ब्रिजेंड्रा शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा

प्रतिलिपि:-

- 01– माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03– अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील-सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 04– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 05– पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।
- 06– जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07– जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 08– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 09– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर सलग्न नोटिस चर्चा किये जाने हेतु।
- 10– कोविड-19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11– कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।



(ब्रिजेंड्रा शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा